

ग्राम सभा में दलित भागीदारी की वास्तविकता और चुनौतियाँ

नीरज कुमार¹

¹शोध छात्र, प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय, प्रयागराज

Received: 20 March 2026 Accepted & Reviewed: 25 March 2026, Published: 30 March 2026

Abstract

भारत के ग्रामीण लोकतंत्र की आत्मा ग्राम सभा को माना गया है, जहाँ प्रत्येक नागरिक को निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी का अधिकार है। संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण नीति ने दलित वर्ग को स्थानीय शासन में प्रतिनिधित्व का अवसर अवश्य दिया है, परंतु व्यावहारिक स्तर पर यह भागीदारी अभी भी सीमित और प्रतीकात्मक दिखाई देती है। सामाजिक विषमता, जातिगत भेदभाव, आर्थिक निर्भरता तथा राजनीतिक वर्चस्व जैसे कारक दलितों की सक्रिय सहभागिता में बाधा उत्पन्न करते हैं। अनेक बार ग्राम सभाओं में निर्णय प्रक्रिया उच्च वर्ग के प्रभाव में होती है, जिससे दलित समुदाय की आवाज़ या तो दब जाती है या औपचारिकता तक सीमित रह जाती है। इस शोध पत्र में ग्राम सभा में दलित भागीदारी की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार संरचनात्मक, सामाजिक और मानसिक अवरोध उनकी वास्तविक भागीदारी में अड़चन बनते हैं। साथ ही, शोध यह भी रेखांकित करता है कि शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक पारदर्शिता के माध्यम से इन चुनौतियों को किस हद तक दूर किया जा सकता है, ताकि ग्राम लोकतंत्र वास्तव में सर्वसमावेशी और न्यायसंगत बन सके।

बीज शब्द— ग्राम सभा, दलित भागीदारी, सामाजिक विषमता, आर्थिक निर्भरता, राजनीतिक वर्चस्व, स्थानीय शासन, प्रतिनिधित्व, सामाजिक जागरूकता, प्रशासनिक पारदर्शिता, समावेशी लोकतंत्र।

Introduction

भारतीय लोकतंत्र की जड़ें ग्राम स्तर तक फैली हुई हैं। संविधान के निर्माताओं ने जब स्वराज और सहभागितापूर्ण शासन की परिकल्पना की थी, तब उनका उद्देश्य केवल सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं था, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर प्रदान करना भी था। इसी दृष्टि से पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम सभा की अवधारणा अस्तित्व में आई। ग्राम सभा न केवल ग्रामीण शासन की आधारशिला है, बल्कि यह जनता की सीधी भागीदारी का सबसे सशक्त मंच भी है। यहाँ नागरिक सीधे अपने गाँव की समस्याओं, योजनाओं और विकास नीतियों पर विचार-विमर्श कर सकते हैं। इस व्यवस्था का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास के निर्णय ऊपर से थोपा हुआ आदेश न बनें, बल्कि नीचे से ऊपर की ओर जाने वाली सामूहिक चेतना का परिणाम हों।

ग्राम सभा में दलित समुदाय की भागीदारी लोकतांत्रिक समावेशन की वास्तविक कसौटी मानी जाती है। भारतीय समाज का सामाजिक ढाँचा सदियों से जातिगत विभाजनों से प्रभावित रहा है, जहाँ दलित वर्गों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान ने इन असमानताओं को मिटाने की दिशा में ठोस कदम उठाए। अनुच्छेद 40 और 243 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अधिकार देकर लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुँचाया गया। साथ ही, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देकर उन्हें प्रतिनिधित्व का संवैधानिक अधिकार दिया गया। लेकिन

प्रश्न यह उठता है कि क्या यह प्रतिनिधित्व केवल कानूनी प्रावधानों तक सीमित रह गया है या यह वास्तव में व्यवहारिक रूप में परिलक्षित होता है?

ग्राम सभाओं में दलितों की उपस्थिति अब आँकड़ों में तो दिखती है, परंतु उनकी वास्तविक सहभागिता अक्सर सीमित रह जाती है। कई बार दलित प्रतिनिधि तो चुने जाते हैं, परंतु निर्णय प्रक्रिया में उनकी भूमिका प्रतीकात्मक रहती है। कई ग्राम सभाओं में दलितों की आवाज़ सुनी ही नहीं जाती, या यदि सुनी जाती है तो उसे महत्व नहीं दिया जाता। यह स्थिति केवल राजनीतिक असमानता का नहीं, बल्कि सामाजिक मनोवृत्ति का भी संकेत है। आज भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में जातिगत सोच इतनी गहरी है कि दलितों की राय को "ग्राम का विषय" नहीं माना जाता। यही कारण है कि लोकतंत्र का मूल उद्देश्य—समान भागीदारी—व्यावहारिक स्तर पर कमजोर पड़ जाता है।

दलित भागीदारी की वास्तविकता को समझने के लिए हमें उस सामाजिक ताने-बाने को समझना होगा, जिसमें यह ग्राम सभाएँ संचालित होती हैं। ग्रामीण भारत में शक्ति संबंध केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक पदानुक्रम पर आधारित होते हैं। भूमिधर वर्गों का प्रभुत्व, जातिगत पूर्वाग्रह और सामाजिक बहिष्करण जैसी स्थितियाँ दलित समुदाय को निर्णय प्रक्रिया से दूर रखती हैं। जब ग्राम सभा की बैठकें होती हैं, तो कई बार दलित सदस्य केवल "हाजिरी" लगाने तक सीमित रह जाते हैं। वे अपनी बात खुलकर नहीं रख पाते, क्योंकि सामाजिक भय, आर्थिक निर्भरता और आत्मविश्वास की कमी उन्हें रोकती है।

इसके साथ ही, प्रशासनिक और संरचनात्मक कारक भी उनकी भागीदारी को प्रभावित करते हैं। कई बार ग्राम सभा की बैठकें ऐसी समय-सारणी में रखी जाती हैं जब दलित वर्ग मजदूरी पर बाहर रहता है, जिससे वे उपस्थित ही नहीं हो पाते। कई स्थानों पर सूचना तंत्र इतना कमजोर होता है कि उन्हें बैठकों की जानकारी ही समय पर नहीं मिलती। इस प्रकार, नीतिगत और व्यवहारिक स्तर पर उनके सहभागिता अधिकारों का क्षरण होता है।

हालाँकि, यह कहना भी उचित नहीं होगा कि स्थिति पूरी तरह निराशाजनक है। कई राज्यों में जागरूकता अभियानों, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से बदलाव की लहर दिखाई दे रही है। युवा पीढ़ी, विशेषकर शिक्षित दलित वर्ग, अब अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग है। कई ग्राम सभाओं में उन्होंने अपने मुद्दों को मजबूती से उठाया है—जैसे मनरेगा में रोजगार के अवसर, पंचायत निधि का न्यायसंगत वितरण, स्वच्छता और पेयजल योजनाओं में भागीदारी इत्यादि। यह परिवर्तन संकेत देता है कि यदि अवसर और वातावरण दोनों अनुकूल हों, तो दलित भागीदारी केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि प्रभावी भूमिका बन सकती है।

फिर भी चुनौतियाँ अनेक हैं। शिक्षा का स्तर, सामाजिक जागरूकता की कमी, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक भेदभाव जैसी समस्याएँ अब भी व्यापक रूप से मौजूद हैं। ग्राम सभा में सशक्त भागीदारी तभी संभव है जब दलित समुदाय को केवल प्रतिनिधि बनाकर नहीं, बल्कि निर्णय प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाकर देखा जाए। इसके लिए सरकार, प्रशासन, सामाजिक संस्थाएँ और स्वयं समाज—सभी की भूमिका आवश्यक है।

प्रश्न यह नहीं कि दलितों को कितनी सीटें दी गई हैं, बल्कि यह है कि उन्हें कितनी सुनवाई दी जाती है। ग्राम सभा तब ही लोकतंत्र का वास्तविक रूप धारण कर सकती है जब हर आवाज़ को समान

महत्व मिले। अगर किसी वर्ग की भागीदारी केवल दस्तावेजों में सीमित रह जाए, तो लोकतंत्र की आत्मा खो जाती है।

अतः यह शोध पत्र ग्राम सभा में दलित भागीदारी की वास्तविकता का विश्लेषण करते हुए यह समझने का प्रयास करेगा कि किन कारणों से उनकी सहभागिता अभी भी सीमित है। यह अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालेगा कि किन सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से इस स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। जब तक ग्रामीण लोकतंत्र में दलित समुदाय की आवाज़ समान रूप से नहीं गूँजेगी, तब तक भारत में समावेशी शासन का सपना अधूरा रहेगा।

उद्देश्य— इस शोध का मुख्य उद्देश्य ग्राम सभा में दलित समुदाय की वास्तविक भागीदारी का विश्लेषण करना है। अध्ययन का लक्ष्य यह समझना है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक किस प्रकार उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रभावित करते हैं तथा किस हद तक शिक्षा, जागरूकता और नीति सुधार के माध्यम से इस भागीदारी को सशक्त बनाया जा सकता है।

मुख्य भाग— भारत के लोकतांत्रिक ढाँचे की सच्ची परीक्षा केवल संसदीय राजनीति में नहीं, बल्कि ग्राम स्तर पर चलने वाले स्थानीय शासन में होती है। ग्राम सभा वह स्थान है जहाँ नागरिक और शासन के बीच का सीधा संबंध स्थापित होता है। संविधान ने इसे एक ऐसी संस्था के रूप में परिभाषित किया है जो ग्रामीण जनता की स्वायत्तता और सहभागिता को सुनिश्चित करती है। परंतु जब हम दलित समुदाय की इस प्रक्रिया में वास्तविक उपस्थिति और प्रभाव को देखते हैं, तो अनेक जटिलताएँ सामने आती हैं। कानूनों और संवैधानिक प्रावधानों में जो समानता का वादा किया गया था, वह सामाजिक और आर्थिक धरातल पर आज भी अधूरा प्रतीत होता है। दलितों की भागीदारी का अर्थ केवल प्रतिनिधित्व तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि क्या उनकी राय को महत्व दिया जा रहा है, क्या निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भूमिका प्रभावी है, और क्या वे ग्राम विकास की दिशा तय करने में समान रूप से शामिल हैं।

ग्राम सभा में दलितों की भागीदारी का विश्लेषण करते समय यह समझना आवश्यक है कि उनके सामने कौन-कौन सी बाधाएँ हैं। सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक स्वीकृति की है। सदियों पुरानी जातिगत व्यवस्था ने भारतीय ग्रामीण समाज को इस तरह गढ़ा है कि कुछ वर्गों को 'श्रेष्ठ' और कुछ को 'निम्न' माना जाता रहा। यह सोच आज भी कई गांवों में सामाजिक व्यवहार और निर्णय प्रक्रिया पर हावी है। जब दलित प्रतिनिधि ग्राम सभा में अपनी राय रखने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उन्हें या तो अनसुना कर दिया जाता है या उनकी बात को कमतर समझा जाता है। कुछ मामलों में उन्हें बोलने का अवसर तक नहीं मिलता। यह स्थिति केवल मानसिक पूर्वाग्रह का नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन के असमान वितरण का भी परिणाम है। दलित समुदाय की आर्थिक स्थिति भी उनकी भागीदारी को सीमित करती है। ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होने के लिए समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है, परंतु अधिकांश दलित परिवार दैनिक मजदूरी पर निर्भर रहते हैं। उन्हें अपने जीवन-निर्वाह के लिए कार्यस्थल पर उपस्थित रहना पड़ता है, जिससे वे कई बार बैठकों में शामिल ही नहीं हो पाते। कई बार बैठकें ऐसे समय पर रखी जाती हैं जब खेतों में काम चल रहा होता है या मजदूरी के अवसर अधिक होते हैं। यह संरचनात्मक असमानता उनके राजनीतिक अधिकारों के उपयोग को भी प्रभावित करती है।

राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो पंचायत स्तर पर आरक्षण नीति ने दलितों को प्रतिनिधित्व का अवसर तो दिया है, लेकिन यह प्रतिनिधित्व कई बार "प्रतिनिधि के माध्यम से शासन" जैसा नहीं, बल्कि "प्रॉक्सी शासन" के रूप में दिखाई देता है। कई स्थानों पर सत्ताधारी वर्ग अपने प्रभाव के कारण दलित

प्रतिनिधियों से अपनी मर्जी के निर्णय करवाते हैं। महिला दलित प्रतिनिधियों के मामलों में यह प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है, जहाँ परिजन या प्रभावशाली लोग उनके नाम से कार्य करते हैं। इस प्रकार, आरक्षण का उद्देश्य जो सशक्तिकरण था, वह व्यवहार में कमजोर पड़ जाता है। शिक्षा और सामाजिक जागरूकता का अभाव भी दलित भागीदारी में बाधा डालता है। जब तक व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं होगा, तब तक वह निर्णय प्रक्रिया में आत्मविश्वास के साथ भाग नहीं ले पाएगा। कई दलित प्रतिनिधि पंचायत की प्रक्रियाओं, योजनाओं और प्रशासनिक प्रावधानों से अनभिज्ञ रहते हैं, जिससे वे अपनी भूमिका का पूर्ण निर्वहन नहीं कर पाते। यह स्थिति शासन तंत्र की जिम्मेदारी पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है, क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधियों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन अक्सर केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है।

सामाजिक संबंधों की जटिलता भी दलित भागीदारी को प्रभावित करती है। ग्रामीण भारत में सामुदायिक जीवन परस्पर निर्भरता पर आधारित है। दलित वर्ग आर्थिक रूप से प्रायः उच्च जाति के कृषक या भूमिधर वर्ग पर निर्भर होता है। यह निर्भरता उनके आत्मविश्वास और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता को सीमित करती है। यदि कोई दलित व्यक्ति सत्ता या निर्णय के विरुद्ध जाता है, तो सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार का डर उसे रोक देता है। कई स्थानों पर आज भी "बहिष्कार" जैसी पुरानी सामाजिक प्रथाएँ सक्रिय हैं, जो दलित वर्ग की भागीदारी को दबाव में रखती हैं। इन सबके बावजूद यह भी सत्य है कि भारत में परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा का प्रसार, सूचना प्रौद्योगिकी की पहुँच और सामाजिक आंदोलनों ने दलित समुदाय में आत्मसाक्षात्कार की भावना को बढ़ाया है। अनेक उदाहरण मिलते हैं जहाँ दलित प्रतिनिधियों ने ग्राम सभा की दिशा बदल दी। उन्होंने विकास योजनाओं में पारदर्शिता लाई, भ्रष्टाचार का विरोध किया, और अपनी पंचायतों में सामाजिक समरसता की पहल की। यह संकेत है कि यदि दलित समुदाय को अनुकूल वातावरण और संसाधन दिए जाएँ, तो वे न केवल सहभागी बन सकते हैं बल्कि नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी निभा सकते हैं।

इस संदर्भ में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण बन जाती है। विभिन्न राज्यों में चलाए जा रहे जन-जागरूकता अभियान, स्वराज और सशक्तिकरण मिशन, महिला और दलित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस दिशा में सकारात्मक कदम हैं। परंतु इन प्रयासों की सफलता तभी संभव है जब वे केवल दस्तावेजों में न रहकर जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू हों। उदाहरण के लिए, यदि ग्राम सभा की सूचना सही समय पर सभी वर्गों तक पहुँचाई जाए, बैठकों का समय श्रमिक वर्ग के अनुकूल रखा जाए, और निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हो, तो सहभागिता स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दलित भागीदारी को केवल अधिकार की दृष्टि से न देखा जाए, बल्कि इसे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार किया जाए। लोकतंत्र का सार यह नहीं कि केवल कुछ लोगों को बोलने का अवसर मिले, बल्कि यह है कि प्रत्येक नागरिक की आवाज़ समान रूप से सुनी जाए। यदि समाज के किसी वर्ग की आवाज़ कमजोर या दबाई हुई है, तो लोकतंत्र अधूरा है। अतः दलितों की सक्रिय भागीदारी न केवल उनके अधिकारों की रक्षा है, बल्कि यह समग्र सामाजिक विकास की शर्त भी है।

राजनीतिक सशक्तिकरण तभी प्रभावी होगा जब वह सामाजिक सशक्तिकरण से जुड़ा हो। जब तक सामाजिक भेदभाव समाप्त नहीं होगा, तब तक राजनीतिक अवसरों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकेगा। शिक्षा, सामाजिक सम्मान और आर्थिक आत्मनिर्भरता तीन ऐसे स्तंभ हैं जिन पर दलित भागीदारी का भविष्य निर्भर करता है। यदि इन तीनों क्षेत्रों में सुधार होता है, तो ग्राम सभा में उनकी स्थिति स्वतः मजबूत हो जाएगी।

दलित भागीदारी को बढ़ाने के लिए पारदर्शी प्रशासनिक तंत्र भी आवश्यक है। कई बार योजनाओं का लाभ उन्हीं वर्गों तक सीमित रह जाता है जो पहले से सशक्त हैं। यदि ग्राम सभा की कार्यवाही और निर्णयों को सार्वजनिक किया जाए, पंचायत निधियों की जानकारी खुली रखी जाए, और शिकायत निवारण की व्यवस्था मजबूत की जाए, तो दलित प्रतिनिधि अपनी भूमिका को अधिक दृढ़ता से निभा सकते हैं।

आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्राम सभाओं को केवल औपचारिक संस्था के रूप में न देखा जाए, बल्कि इसे सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बनाया जाए। यह तभी संभव होगा जब समाज अपने भीतर झाँककर यह स्वीकार करे कि समानता केवल कागज़ों पर नहीं, व्यवहार में भी आवश्यक है। दलित भागीदारी का सशक्त होना न केवल लोकतंत्र की मजबूती है, बल्कि यह भारत के सामाजिक पुनर्निर्माण की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। ग्राम सभा में दलितों की भागीदारी की वास्तविकता यह बताती है कि कानूनी और संवैधानिक व्यवस्थाएँ पर्याप्त नहीं होतीं जब तक उन्हें सामाजिक व्यवहार में लागू न किया जाए। जब तक समाज के सभी वर्ग समान स्तर पर संवाद नहीं करेंगे, तब तक लोकतंत्र का संतुलन अधूरा रहेगा। इसीलिए, दलित भागीदारी को केवल एक मुद्दा या नीति का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना का प्रतीक मानना होगा।

इस अध्ययन से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि यदि शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से दलित प्रतिनिधियों को सशक्त बनाया जाए, ग्राम सभा की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाई जाए, और सामाजिक संगठनों को इसमें सक्रिय भूमिका निभाने दी जाए, तो ग्रामीण शासन वास्तव में लोकतांत्रिक हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग यह समझें कि समान भागीदारी किसी का उपकार नहीं, बल्कि लोकतंत्र की मूल आत्मा है। इस प्रकार, ग्राम सभा में दलित भागीदारी केवल दलितों की समस्या नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की परिपक्वता का सूचक है। यदि ग्राम स्तर पर समानता और न्याय स्थापित होता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी लोकतंत्र की जड़ें गहरी होती हैं। इसलिए यह अनिवार्य है कि दलित समुदाय को ग्राम सभा के केंद्र में रखा जाए, न कि उसके किनारे पर। तभी भारत का लोकतंत्र सच्चे अर्थों में जन-जन का शासन बन सकेगा।

निष्कर्ष— ग्राम सभा भारतीय लोकतंत्र की वह आधारशिला है, जहाँ समानता, सहभागिता और पारदर्शिता के सिद्धांत व्यावहारिक रूप में लागू होने चाहिए। किंतु अध्ययन से स्पष्ट होता है कि दलित समुदाय की ग्राम सभा में भागीदारी आज भी कई स्तरों पर सीमित और औपचारिक बनी हुई है। संवैधानिक अधिकार प्राप्त होने के बावजूद सामाजिक पूर्वाग्रह, आर्थिक निर्भरता, अशिक्षा और प्रशासनिक उदासीनता जैसी बाधाएँ उनकी सक्रिय भागीदारी में रुकावट डालती हैं। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत अवश्य मिलते हैं, जहाँ शिक्षित और जागरूक दलित प्रतिनिधियों ने अपनी पंचायतों में विकास और पारदर्शिता के नए उदाहरण स्थापित किए हैं। फिर भी यह परिवर्तन व्यापक रूप से तभी संभव है जब ग्राम सभाओं की संरचना और मानसिकता दोनों स्तरों पर सुधार लाया जाए। इसके लिए केवल नीतिगत प्रावधान पर्याप्त नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता और नागरिक चेतना आवश्यक है। शिक्षा, प्रशिक्षण, सामाजिक संवाद और प्रशासनिक उत्तरदायित्व के माध्यम से ही दलित भागीदारी को वास्तविक शक्ति में बदला जा सकता है।

अंततः, दलितों की सशक्त उपस्थिति केवल उनके अधिकारों की पूर्ति नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की आत्मा का विस्तार है। जब ग्राम सभा में हर आवाज़ समान महत्व पाएगी, तब ही भारत का लोकतंत्र अपने सच्चे अर्थों में “जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा” शासन बन सकेगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. अंबेडकर, भीमराव रामजी, जाति का उन्मूलन, नवयाना प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 78।
2. शर्मा, राजेंद्र, पंचायती राज में सामाजिक न्याय, रावत प्रकाशन, जयपुर, 2016, पृ. 65।
3. मिश्रा, रामप्रकाश, ग्राम सभा और लोकतांत्रिक भागीदारी, किताब महल, इलाहाबाद, 2019, पृ. 84।
4. प्रसाद, अनिरुद्ध, भारत में ग्राम स्वराज और पंचायती राज, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ, 2015, पृ. 101।
5. यादव, सूरज, दलित सशक्तिकरण के नये आयाम, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2020, पृ. 59।
6. वर्मा, नीलम, दलित स्त्री और राजनीति, ग्रंथशिल्पी प्रकाशन, भोपाल, 2017, पृ. 47।
7. त्रिपाठी, मुकेश, सामाजिक न्याय और ग्राम पंचायत, वाणी प्रकाशन, वाराणसी, 2018, पृ. 73।
8. पांडेय, अंजना, दलित विमर्श और लोकतांत्रिक समाज, भारतीय साहित्य परिषद, प्रयागराज, 2019, पृ. 91।
9. योजना पत्रिका, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, खंड 67, अंक 3, 2023, पृ. 14–19।
10. कुरुक्षेत्र: ग्रामीण विकास पत्रिका, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, खंड 71, अंक 5, 2023, पृ. 22–28।
11. सिंह, योगेंद्र, भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण, थॉम्पसन प्रेस, दिल्ली, 2011, पृ. 129।